

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग IIII खंड 4 में प्रकाशित

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2019

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019

(2019 का 04)

संख्या: 15-01/2019- एफएंडईए — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 1997 का चौबीसवां) की धारा 11 की उप-धारा (1) की खंड (ख) की उप खंड (ii), (iii), (iv) तथा (v) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतदद्वारा दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए निम्नवत विनियम बनाता है, नामतः—

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) यह विनियम दिनांक 11 नवंबर, 2019 से लागू होंगे।

2. दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2009 के विनियम 3 के लिए निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

“3. प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभारः— प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध के लिए प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार छह रुपए छियालीस पैसे मात्र होगा”

(एस० के० गुप्ता)  
सचिव

टिप्पण 1: मूल विनियमों को दिनांक 20 नवम्बर, 2009 (वर्ष 2009 का नौवां) को 116-5/2009-एमएन के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

टिप्पण 2: मूल विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 03) फाईल संख्या 15-1/2016-एफएंडईए द्वारा भारत सरकार के गजट, असामान्य, भाग-III, सेक्शन 4 दिनांक 31 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था।

टिप्पण 3: व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 के उद्देश्यों तथा कारणों को स्पष्ट करता है।

1. कोई भी सब्सक्राइबर एक ही लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) के भीतर और साथ ही संपूर्ण देश में किसी भी लाइसेंस सेवा क्षेत्र में एक सेवा प्रदाता के स्थान पर दूसरे सेवा प्रदाता को अपनाते समय अथवा एक ही सेवा प्रदाता की एक प्रौद्योगिकी के स्थान पर दूसरी प्रौद्योगिकी को अपनाते समय अपने वर्तमान मोबाइल टेलीफोन नंबर को बनाए रख सकता है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी भारत में 2009 से प्रचालनरत है, जब दूरसंचार विभाग द्वारा दो मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं (एमएनपीएसपी) को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा लाइसेंस जारी किए गए थे। दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जारी किए गए विनियमों/ आदेशों अथवा निदेशों अथवा दूरसंचार विभाग (लाइसेंस प्रदाता) द्वारा लाइसेंसों में समय समय पर किए गए संशोधनों के माध्यम से जारी किए गए सभी अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा लाइसेंसधारियों को अधिदेशित किया है।
2. भारत में एमएनपी सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी व्यापारिक प्रक्रिया के ढांचे को निर्धारित करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने दिनांक 23 सितंबर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) (एमएनपी विनियम) जारी किया। इन नियमों को समय-समय पर संशोधित किया गया है, और नवीनतम संशोधन 2018 में किया गया है।
3. दिनांक 20 नवंबर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2009 (एमएनपी प्रभार विनियम) को अधिसूचित करके, प्राधिकरण ने प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार (पीपीटीसी) को 19/- रुपए निर्धारित किया जिसका भुगतान प्राप्तकर्ता आपरेटर द्वारा संबंधित एमएनपीएसपी को किया जाना था। पूर्व के वास्तविक आंकड़ों के अभाव में, यह प्रक्रिया दो एमएनपीएसपी द्वारा प्रस्तुत अनुमानित वित्तीय आंकड़ों और अन्य जानकारी के आधार पर की गई थी। प्रति पोर्ट लेनदेन प्रभार की गणना पांच वर्षों की अवधि के दौरान, एमएनपीएसपी की अनुमानित कुल लागत और पोर्टिंग उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या को ध्यान में रख कर किया गया था। प्राधिकरण ने पीपीटीसी की गणना करने के लिए दो एमएनपीएसपी द्वारा अनुमानित लागतों में जो थी उसपर भी विचार किया।
4. तदनुसार, दूरसंचार प्रशुल्क (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009 को अधिसूचित कर, प्राधिकरण ने प्रशुल्क की अधिकतम सीमा के रूप में 19/- रुपए की राशि विहित की जिसे प्रति पोर्ट लेन-देन प्रभार के रूप में प्राप्तकर्ता आपरेटर द्वारा उपभोक्ता से प्रभारित किया जा सकता था। डिपिंग प्रभार को 'फारबीयरेंस' के तहत रखा गया था।
5. एमएनपी प्रभार संबंधी विनियम के विनियम 6(2) में यह उपबंध है कि "प्राधिकरण इन विनियमों के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के अंत में प्रति पोर्ट लेनदेन प्रभार और डिपिंग चार्ज की समीक्षा और संशोधन कर सकता है"।
6. वर्ष 2018 में दोनों एमएनपीएसपी के वास्तविक वित्तीय तथा गैर वित्तीय आंकड़ों के आधार पर 'प्रति पोर्ट लेन-देन प्रभार' की समीक्षा की गई थी। तदनुसार, प्राधिकरण ने दिनांक 31 जनवरी, 2018 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018 जारी किया जिसके माध्यम से प्रत्येक सफल पोर्टिंग हेतु प्रति पोर्टिंग लेन-देन प्रभारों को 19/- रुपए से घटा कर 04/- रुपए कर दिया गया था। तथापि, इस संशोधन विनियम को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उसके दिनांक 08 मार्च, 2019 के निर्णय के माध्यम से रद्द कर दिया गया था।
7. तत्पश्चात, प्राधिकरण ने मौजूदा एमएनपी प्रक्रिया की ही समीक्षा करने के लिए एक विस्तृत सार्वजनिक परामर्श आरंभ किया। प्राधिकरण ने दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 जारी किया, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एमएनपी प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जा सकें। इनमें मुख्य रूप से प्रदाता आपरेटर (डीओ) के डॉटाबेस से वास्तविक समय संबंधी पूछताछ करने के पश्चात विशिष्ट पोर्टिंग कोड ('यूपीसी') को सृजित करने का उत्तरदायित्व प्रदाता आपरेटर से एमएनपीएसपी को सौंपना तथा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान सब्सक्राइबर को उसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एमएनपीएसपी द्वारा सब्सक्राइबर को एसएमएस भेजना शामिल है। विनियम में एमएनपीएसपी द्वारा पहले से प्रदान की जा रही अनुषंगी सेवाओं की भी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है नामतः, नम्बर को वापस करने का प्रभार, डॉटाबेस डॉउनलोड प्रभार, पोर्ट रद्दीकरण प्रभार, सब्सक्राइबर रीकनेक्शन प्रभार तथा नॉन-पेमेंट डिस्कनेक्शन प्रभार।

8. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकरण ने दिनांक 22 फरवरी, 2019 को परामर्श पत्र जारी करके मौजूदा एमएनपी प्रभार विनियमों की समीक्षा करने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया आरंभ की। (जिन्हें बाद में, जैसा कि ऊपर वर्णित है, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अद्यतन किया गया)। हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि क्रमशः 15 मार्च, 2019 और 22 मार्च, 2019 थी। तथापि, हितधारकों के अनुरोधों पर विचार करते हुए, हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को क्रमशः दिनांक 12 अप्रैल, 2019 तथा 19 अप्रैल, 2019 तक बढ़ा दिया गया था। इस संबंध में दिनांक 27 मई, 2019 को एक खुला मंच चर्चा भी आयोजित की गई थी। एमएनपीएसपी तथा टीएसपी ने खुला मंच चर्चा के पश्चात् भी आगे की अतिरिक्त टिप्पणियां भी प्रस्तुत की हैं।
9. दिनांक 07 मई, 2019 के पत्र तथा उत्तरवर्ती अनुस्मारकों के साथ से, दो एमएनपीएसपी को वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं की प्रतियों के साथ–साथ पूँजीगत व्यय (केपेक्स) तथा प्रचालन व्यय (ओपेक्स) का व्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया था। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को मैसर्स सिनीवर्स द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत किया गया था। मैसर्स एमएनपी इंटरकनेक्शन टेलीकाम सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमआईटीएस) ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए एमएनपी व्यापार के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को दिनांक 28 जून, 2019 को प्रस्तुत किया।
10. प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को 7वें संशोधन के परिणामस्वरूप किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य और दिनांक 25 जून, 2019 के पत्र के माध्यम से होने वाले संभावित व्यय के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के लिए लागत हेतु किए जाने वाले निवेश का व्योरा प्रदान करने को कहा गया था, उनके उत्तर पर भी प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था।
11. दोनों एमएनपीएसपी ने 7 वें संशोधन के परिणामस्वरूप किए जाने वाले आवश्यक अतिरिक्त कार्य के लिए अनुमान भी प्रस्तुत किया है। दोनों एमएनपीएसपी को अतिरिक्त व्यय के औचित्य के साथ एमएनपी प्रक्रिया में बदलाव को लागू करने के लिए आवश्यक ढांचे और अतिरिक्त हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर पर एक प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था, जिसे दोनों एमएनपीएसपी द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुति के दौरान, दोनों एमएनपीएसपी द्वारा यह बात इंगित की गई थी कि 7 वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए दिए गए अतिरिक्त लागत अनुमानों में चल रहे/मौजूदा व्यवस्था के साथ–साथ 7वें संशोधन के तहत परिकल्पित परिवर्तन को लागू करने के लिए लागत शामिल है। तदनुसार, दोनों को दो लागत घटकों को अलग करने के लिए कहा गया था। एक एमएनपीएसपी ने दिनांक 28 जुलाई, 2019 को चालू प्रचालनों और 7वें संशोधन संबंधी आवश्यकताओं के बीच लागत को विभाजित करने के बाद संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत किया। अन्य एमएनपीएसपी ने दिनांक 02 अगस्त, 2019 के पत्र के माध्यम से यह जानकारी प्रदान की कि इस प्रकार का पृथक्कीकरण करना संभव नहीं है।
12. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त टिप्पणियों तथा प्रति-टिप्पणियों के आधार पर खुला मंच चर्चा में हुए विचार–विमर्श तथा तत्पश्चात् एमएनपीएसपी और अन्य हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 16 अगस्त, 2019 को मसौदा “दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार तथा डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2019” (मसौदा विनियम) जारी किए। हितधारकों से मसौदा विनियम पर दिनांक 23 अगस्त, 2019 तक अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, हितधारकों (एमएनपीएसपी) के अनुरोधों पर विचार करते हुए, टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को दिनांक 28 अगस्त, 2019 तक बढ़ा दिया गया था।
13. पैरा 14 से 46 में मसौदा विनियम हेतु मूलभूत तर्कधार तथा परामर्श पत्र में उठाए गए प्रश्नों पर चर्चा की गई है। तत्पश्चात्, पैरा 47 में मसौदा विनियम को जारी किए जाने (अर्थात् 16 अगस्त, 2019 के पश्चात्) के उपरांत प्राप्त जानकारी पर चर्चा की गई है।

---

<sup>1</sup> अनुषंगी सेवाओं का व्योरा व्याख्यात्मक ज्ञापन के उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है, जहां पर अनुषंगी प्रभारों के मुद्दे पर विचार किया गया है।

परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दे तथा प्राधिकरण द्वारा निर्णय पर विचार किए जाने हेतु सूचनाओं का विश्लेषण

14. पूर्वगामी चर्चा के महेनजर, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और अन्य शुल्क की समीक्षा पर हितधारकों के विचार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए थे। परामर्श पत्र सहित हितधारकों की लिखित टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर उपलब्ध हैं। उत्तरवर्ती पैराओं में, प्राधिकरण के निष्कर्ष और निर्णय के पीछे के तर्क सहित परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।
- क्या पूर्व में की गई समीक्षा के आधार पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति के आधार पर 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' का परिकलन जारी रखना चाहिए? यदि नहीं, तो कृपया पद्धति का सुझाव देते हुए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य संसाधनों आदि की लागतों का उल्लेख भी करें।
15. कुछ हितधारकों ने उल्लेख किया है कि मौजूदा पद्धति को जारी रखा जाना चाहिए, जबकि कुछ अन्य ने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है। एक एमएनपीएसपी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि प्रशुल्क की समीक्षा वार्षिक आधार की बजाय पांच वर्ष के आधार पर होनी चाहिए जबकि अन्य एमएनपीएसपी ने प्रत्येक तीन वर्षों में इसकी समीक्षा करने का सुझाव दिया। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रशुल्क परिकलन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की प्रमात्रा, 'अनावर्ती पोर्टिंग संख्या में परिवर्तनों' को समायोजित करने के पश्चात पर्याप्त रूप से लंबी अवधि पर आधारित होनी चाहिए, टीएसपी द्वारा विलम्ब से भुगतान किए जाने के कारण कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को एक माह से तीन महीने में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, नियोजित पूँजी पर लाभ 15 प्रतिशत से भी अधिक होना चाहिए, आदि। एमएनपीएसपी द्वारा भी निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा वहन की गई सभी लागतों पर विचार किया जाना चाहिए और वास्तविक व्यवसाय लागत जिसके लिए रिकॉर्ड पर साक्ष्य हैं, को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पीपीटीसी का परिकलन करने के लिए एक एमएनपीएसपी ने उल्लेख किया कि एमएनपीएसपी की दोनों लागतों (प्रचालन और व्यवसाय) में से जो कम हो उसकी बजाय दोनों लागतों के औसत पर विचार किया जाना चाहिए। चूंकि दोनों एमएनपीएसपी पृथक परिवेश में कार्य करते हैं और दोनों का औसत अंगीकार करना सबसे अच्छा और उचित तरीका होगा। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि पीपीटीसी समय के साथ स्थिर होनी चाहिए और छह माह की मूल्य कार्यान्वयन अवधि के साथ 3 वर्ष उपरांत समीक्षा की जानी चाहिए। एक एमएनपीएसपी ने यह उल्लेख किया कि दोनों एमएनपीएसपी के बीच कम लागतों की "चेरी पिकिंग" नहीं की जानी चाहिए और एक एमएनपीएसपी की लागत को समग्र रूप से लिया जाना चाहिए।
16. इस संबंध में, एक अन्य हितधारक ने उल्लेख किया है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को पीपीटीसी को दोनों 'एमएनपीएसपी' की 'लागतों में से कम लागत' पर आधारित किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों 'एमएनपीएसपी' की लागत का औसत एक कुशल 'एमएनपीएसपी' की लागत को नहीं दर्शाएगा, जिससे अकुशल 'एमएनपीएसपी' को सहायता प्रदान कर मोबाइल ऑपरेटर (एमएनओ) प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। इसके अलावा, लागत गणना में अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप वे एमएनओ प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे जो एमएनपीएसपी को समय से भुगतान करते हैं। एमएनओ द्वारा भुगतान नहीं किए जाने/विलम्ब से भुगतान करने संबंधी मामलों को विधिक ढांचे के तहत एमएनपीएसपी तथा एमएनओ के बीच सुलझाया जाना चाहिए। कुछ हितधारकों द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि एमएनओ से रॉयलटी/परामर्श/लाइसेंसिंग की लागत शाश्वत रूप से नहीं वसूली जा सकती है।
17. एक अन्य हितधारक ने टिप्पणी की है कि दोनों एमएनपीएसपी एकाधिकार वाले बाजार में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उनके संबंधित क्षेत्रों में एमएनपी सेवाओं का कोई अन्य आपूर्तिकर्ता नहीं है। ऐसे परिदृश्य में, यह अनिवार्य है कि प्रभारों को लागत इत्यादि के आधार पर निर्धारित किया जाए ताकि एमएनपीएसपी को कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं हो।
18. कुछ हितधारकों ने उल्लेख किया है कि हाल ही में पोर्ट की लागतों में पर्याप्त वृद्धि हुए बिना 'पोर्ट की संख्या' में उल्लेखनीय वृद्धि होने के कारण एमएनपीएसपी पहले ही सभी लागतों की वसूली करने के उपरांत अधिक राशि अर्जित कर चुके हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि एमएनपीएसपी द्वारा की गई अधिक वसूली को पीपीटीसी की भावी गणना में समायोजित किया जाना चाहिए।
19. एक हितधारक ने टिप्पणी की है कि 7वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए एमएनपीएसपी द्वारा वहन की गई लागत में वास्तविक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि मोटे तौर पर एमएनपीएसपी अपनी ओर से 'मार्जिनल हार्डवेयर,' 'सॉफ्टवेयर' और प्रचालन लागत के साथ

परिवर्तित प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए एमएनओ के मौजूदा नेटवर्क का उपयोग करेंगे। यह उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त लागत एमएनपीएसपी की मौजूदा लागत का लगभग 1 से 3 प्रतिशत होगी। इस संबंध में, एक एमएनपीएसपी ने टिप्पणी की है कि 1 से 3 प्रतिशत संबंधी धारणा का अनुमान लगा पाना काफी जल्दबाजी सावित होगा और इन लागतों का सटीक अनुमान लगा पाना टीएसपी के क्षेत्राधिकार से परे है।

20. अन्य हितधारक ने टिप्पणी की है कि एमएनपीएसपी के वास्तविक लेखापरीक्षित आंकड़ों और संशोधित प्रक्रिया के तहत वहन की जाने वाली लागत संबंधी अनुमानों के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए। तथापि, प्राधिकरण को एक वर्ष उपरांत आगे की समीक्षा करने संबंधी प्रावधान को बनाए रखना चाहिए जब वास्तविक लेखापरीक्षित वित्तीय तथा गैर-वित्तीय आंकड़े उपलब्ध होंगे। यह भी उल्लेख किया गया है कि किए गए सभी पोर्टिंग अनुरोधों पर विचार करते हुए प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार का परिकलन करने के लिए, दोनों एमएनपीएसपी हेतु पृथक प्रक्रिया की जानी चाहिए। इस संख्या तक रद्द अथवा अस्थीकृत अनुरोधों के प्रतिशत के आधार पर पहुंचा जाना चाहिए। तत्पश्चात्, दोनों एमएनपीएसपी हेतु प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार का परिकलन करने के लिए अनुषंगी सेवाओं हेतु प्रभार को जोड़ा जा सकता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि इन संख्याओं में सबसे कम संख्या को प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार निर्धारित किया जाना चाहिए, चूंकि भारतीय उपभोक्ताओं को किसी एमएनपीएसपी के अकार्यक्षम होने के कारण खराब सेवाओं का सामना नहीं करना पड़े। इस बिंदु के संबंध में एक एमएनपीएसपी ने टिप्पणी की कि असफल पोर्ट को मार्क करने की यह पद्धति से ऐसे आपरेटरों को लाभ पहुंचेगा जो निष्क्रिय पोर्ट की जानकारी प्रदान करते हैं जिससे भारी संख्या में त्रुटियां होंगी। तत्पश्चात्, इन असफल पोर्टों की लागत का भुगतान अन्य आपरेटरों द्वारा किया जाएगा जिनके बेहतर प्रक्रियाएं तथा नियंत्रण होते हैं। इसके अलावा, यह कहा जाता है कि इस पद्धति में असफल तथा सफल पोर्टों का अनुपात स्थिर बना रहता है, जोकि सत्य नहीं है।
21. एक हितधारक ने उल्लेख किया कि प्राधिकरण को एमएनपीएसपी के वर्ष 2017–18 और वर्ष 2018–19 सहित वित्तीय और गैर-वित्तीय आंकड़ों और उनकी अनुमानित लागतों को साझा करना चाहिए ताकि अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श किया जा सके। दोनों हितधारी एमएनपीएसपी ने खुला मंच चर्चा में इस कथन को मानने से इंकार किया तथा कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।
22. एक हितधारी ने उल्लेख किया कि प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार के अतिरिक्त यूपीसी अनुरोध का सृजन करने के लिए, दाता प्रचालक से पूछताछ किए जाने, यूपीसी अथवा अस्थीकृति का कारण का सृजन करने, उस यूपीसी अथवा अस्थीकृति के कारण को प्रेषित करने के लिए पृथक प्रभार होने चाहिए चूंकि एमएनपीएसपी द्वारा सातवें संशोधन का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त तथा वृद्धिशील लागतें होती हैं। इस संबंध में अन्य हितधारक ने टिप्पणी की कि सभी लागतों को पीपीटीसी के तहत सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि यूपीसी अनुरोध के सृजन का अभिप्राय होगा कि दाता प्रचालक को एमएनपीएसपी को भुगतान करने के लिए यूपीसी सृजन संबंधी क्रियाकलापों के लिए सब्सक्राइबरों को प्रभारित करने की आवश्यकता होगी, जोकि उपभोक्ताओं के हितों के लिए घातक होगा।
23. अनेक हितधारकों ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा लागत परिकलन से रॉयल्टी तथा परामर्श संबंधी प्रभार को हटाने की सिफारिश की है। अन्य हितधारक ने यह भी उल्लेख किया कि लाइसेंसिंग तथा रॉयल्टी से संबंधित कुल लागत पर छूट प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि इतनी लंबी अवधि के लिए एक साधारण विनियामक प्रक्रिया पर इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। हितधारकों ने यह भी टिप्पणियां की हैं कि ऐसी लागतें शाश्वत रूप से वसूली जा रही हैं जबकि एमएनपीएसपी को पर्याप्त विशेषज्ञता क्यों न प्राप्त हो गई हो।

### विश्लेषण

24. प्राधिकरण ने प्रस्तुत किए गए उल्लेखों तथा इसमें शामिल मुद्दों का विश्लेषण किया। प्राधिकरण ने मोबाइल नम्बर प्रति पोर्ट पोर्टबिलिटी प्रभार का परिकलन करने के लिए निम्न पर विचार करने का निर्णय लिया:

  - 24.1 वर्ष 2009 के विपरीत जब पीपीटीसी को पिछले लागत आंकड़ों के अनुपलब्ध होने पर प्रारंभिक रूप से परिकलित किया गया था, वर्तमान में, पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित ऐतिहासिक लागत डॉटा के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। तदनुसार, प्राधिकरण ने मौजूदा एमएनपी प्रक्रिया के लिए पीपीटीसी का परिकलन करने हेतु लेखापरीक्षित ऐतिहासिक लागत डॉटा को आधार के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, सातवें संशोधन के अंतर्गत एमएनपी प्रक्रिया में कठिपप्य

परिवर्तन किए गए थे जिसके लिए एमएनपीएसपी को मौजूदा व्यवस्था में कतिपय संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है। तदनुसार, प्राधिकरण ने सातवें संशोधन के कार्यान्वयन में संभावित अतिरिक्त लागत के संबंध में हितधारकों से लागत संबंधी अनुमान मांगे ताकि पीपीटीसी का परिकलन करते समय उनपर उपयुक्त रूप से विचार किया जा सके। एमएनपीएसपी द्वारा सातवें संशोधन के कार्यान्वयन में संभावित अतिरिक्त कार्य के संबंध में पीपीटीसी के इकिमेंटल लागत घटक का परिकलन करने के लिए सभी हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर विचार किया गया है।

- 24.2 पीपीटीसी की गणना के लिए लागत और पोर्ट वॉल्यूम डॉटा के संबंध में, एक एमएनपीएसपी ने पीपीटीसी को निर्धारित करने के लिए तीन वर्ष की लागत और पोर्ट वॉल्यूम डॉटा का उपयोग करने का सुझाव दिया। अन्य एमएनपीएसपी ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों की पोर्ट प्रमात्रा पर विचार करने का सुझाव दिया है। इस संबंध में, प्राधिकरण ने पाया कि पोर्ट की प्रमात्रा में पिछले कुछ वर्षों में कुछ अस्थिरता देखी गई है। पोर्टिंग प्रमात्रा वर्ष 2016–17 में 636 लाख से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 981 लाख और वर्ष 2018–19 में 576 लाख हो गई। इसलिए, प्राधिकरण ने पोर्टिंग प्रमात्रा और लागत के उचित अनुमान प्राप्त करने का निर्णय लिया। पर्याप्त संख्या में वर्षों का औसत लेना आवश्यक हो सकता है, ताकि कुछ वर्षों के उच्च या निम्न परिणामों को विकृत न करें। इसके अलावा, जुलाई, 2015 में भारत में पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की गई थी। अतएव, तत्पश्चात् पोर्टिंग प्रमात्राओं की तुलना करना तर्कसंगत होगा, क्योंकि वे पहले की प्रमात्राओं की तुलना में अधिक उचित और सटीक अनुमान देंगे, जब केवल इंट्रासर्किल एमएनपी की व्यवस्था ही मौजूद ही। एक एमएनपीएसपी द्वारा भी यह सुझाव दिया गया है। इन सब कारणों से प्राधिकरण ने प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार (पीपीटीसी) का परिकलन करने के लिए वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक तीन वर्षों की अवधि की लागत और पोर्टिंग प्रमात्रा के औसत पर विचार करने का निर्णय लिया।
- 24.3 एमएनपीएसपी ने यह भी उल्लेख किया है कि पीपीटीसी का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक एमएनपीएसपी की कुल और वास्तविक लागतों को संपूर्ण माना जाना चाहिए। इस अनुरोध के मद्देनजर और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के आर्थिक रूप से सबसे कुशल आपरेटर की लागत के आधार पर प्रशुल्क का निर्धारण करने की मानक पद्धति के मद्देनजर, प्राधिकरण ने पीपीटीसी (रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क, जैसा कि लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, सहित) का निर्धारण करने के लिए दोनों एमएनपीएसपी की कुल लागतों में से 'कम' को अंगीकार करने का निर्णय लिया। इस संबंध में एमएनपीएसपी ने धारणा व्यक्त की है की दोनों एमएनपीएसपी में से कम लागत वाले एमएनपीएसपी की अपेक्षा दोनों एमएनपीएसपी की औसत लागत पर विचार किया जाना चाहिए चूंकि वे भिन्न-भिन्न परिवेश में प्रचालन करते हैं। तथापि, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि किसी अकुशल आपरेटर को उसकी अकुशलता के लिए उच्च लागत ढांचे पर आधारित उच्च प्रशुल्क निर्धारण कर पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। कुशल आपरेटर के लागत ढांचे पर आधारित एक तर्कसंगत प्रशुल्क निर्धारण करने से अकुशल आपरेटर अपनी लागत को कम करके अपने प्रचालनों में कुशलता प्राप्त करने के लिए बाध्य होगा। इसके अलावा, उच्च प्रशुल्क का निर्णय लेना प्राप्तकर्ता प्रचालक/उपभोक्ता तथा संपूर्ण टेलिकॉम सेक्टर के लिए घातक होगा।
- 24.4 एक एमएनपीएसपी ने यह भी निवेदन किया है कि ऑपरेटरों द्वारा भुगतान नहीं किए जाने अथवा विलंब से भुगतान किए जाने के परिणामस्वरूप एमएनपीएसपी द्वारा अशोध्य ऋणों को भी पीपीटीसी का परिकलन करते समय एक लागत घटक के रूप में माना जाना चाहिए। प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और यह निर्धारित किया है कि एमएनपीएसपी और ऑपरेटरों के बीच भुगतान नहीं किया जाना अथवा विलंब से भुगतान किया जाना, दोनों के बीच एक वाणिज्यिक विवाद है और पीपीटीसी का परिकलन करते हुए यह लागत घटक नहीं हो सकता है। पीपीटीसी की संगणना में अशोध्य ऋणों के अवशोषण से एमएनपीएसपी हतोत्साहित होगा जिससे वह बकाया ऋणों की वसूली के लिए सद्भाव से कार्यवाही नहीं करेगा। इसके अलावा, जैसा कि अन्य हितधारकों द्वारा टिप्पणी की गई है कि लागत में अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान किए जाने से पीपीटीसी बढ़ जाएगी, जो कि एमएनओ पर जुर्माना लगाए जाने के समान होगा जोकि बढ़ हुए पीपीटीसी के रूप में एमएनपीएसपी को समय से भुगतान करते हैं। इन कारणों से प्राधिकरण ने पीपीटीसी का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ अशोध्य ऋणों को लागत घटक के रूप में वर्जित किए जाने का निर्णय लिया।

- 24.5 प्राधिकरण ने इसमें शामिल लागतों का निर्धारण करने के लिए दो एमएनपीएसपी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर भी विचार करने का निर्णय लिया था। यह सुनिश्चित करता है कि लागत अनुमान पर आधारित नहीं है, और एमएनपीएसपी द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करने में लगने वाली वास्तविक लागत हैं।
- 24.5 एमएनपीएसपी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वहन की गई लागतों के विश्लेषण से, यह देखा गया है कि एक एमएनएसपी के लिए परामर्श और संबंधित शुल्कों पर आने वाली लागत लगभग 80 प्रतिशत है, जो कि अधिक है।
- 24.7 दोनों एमएनपीएसपी ने वर्तमान 15 प्रतिशत के मुकाबले नियोजित पूँजी पर लाभ (आरओसीई) (एक एमएनपीएसपी द्वारा 35 प्रतिशत सुझाया गया) को बढ़ाने का सुझाव दिया है। एमएनपीएसपी ने आरओसीई में वृद्धि करने के कारणों में मुख्यतः करों की दरें, मुद्रास्फीति, विधिक लागत और मुद्रा में उतार-चढ़ाव का उल्लेख किया है। इन पर नीचे चर्चा की गई है:
- (क) कर दरें: पूर्व के दृष्टांतों से पता चलता है कि 15 प्रतिशत की दर से आरओसीई में लागू दरों में कर का तत्व भी शामिल है। इसलिए, जब तक कि लागू कर की दरों में पर्याप्त परिवर्तन नहीं होता है, प्राधिकरण को आरओसीई दरों में समायोजन करने का कोई कारण नजर नहीं आता है।
- (ख) मुद्रास्फीति: मुद्रास्फीति, कंपनी की पूर्व की लागत ढांचे में परिलक्षित होती है जो हर साल अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की मौजूदा दर के साथ बदल जाती है। वर्तमान मामले में, प्राधिकरण ने पहले ही प्रशुल्क का निर्धारण करने के लिए एमएनपीएसपी की पूर्व की लागतों पर विचार किया है और इसलिए, दोबारा मुद्रास्फीति के लिए आरओसीई को पुनः समायोजित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, मौजूदा आरओसीई में मुद्रास्फीति को पहले से सम्मिलित किया गया है।
- (ग) विधिक लागतें: इन पर पहले से ही एमएनपीएसपी की पूर्व की लागत के भाग के रूप में विचार किया गया है और आरओसीई में इसके लिए पुनः अन्य प्रावधान किए जाने से विधिक खर्चों का दोहरा लेखांकन हो जाएगा।
- (घ) मुद्रा में उतार- चढ़ाव: मुद्रा में उतार-चढ़ाव की प्रमात्रा, जैसा कि एमएनपीएसपी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में परिलक्षित होता है, अत्यंत कम है और इसलिए, यह समग्र आरओसीई निर्धारण को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा, मुद्रा में उतार- चढ़ाव से नुकसान के साथ-साथ लाभ भी हो सकता है जोकि विनियम दर की चाल पर निर्भर करेगा। इसलिए, इस प्रकार की कवायद में मुद्रा के उतार-चढ़ाव पर विचार किए जाने का कोई लाभ नहीं है।
- 24.8 अतः, प्राधिकरण निर्धारित करता है कि 35 प्रतिशत की दर से आरओसीई अत्यधिक है और 15 प्रतिशत की दर से नियोजित पूँजी पर लाभ एक युक्तिसंगत लाभ है। इसलिए, प्राधिकरण ने मौजूदा पद्धति के अनुरूप, कुल लागत का निर्धारण करने के लिए 15 प्रतिशत की दर से नियोजित पूँजी पर लाभ प्रदान करने पर विचार किया है।
- 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभाव' का परिकलन करते हुए, क्या एमएनपीएसपी को प्राप्त एमएनपी अनुरोधों की कुल संख्या अथवा सफलतापूर्वक पोर्ट किए गए नम्बरों पर विचार किया जा सकता है? कृपया अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें।
25. इस संबंध में, अधिकांश हितधारकों ने टिप्पणियां की हैं की पीपीटीसी का परिकलन करते हुए, एमएनपीएसपी को प्राप्त एमएनपी अनुरोधों की कुल संख्या पर विचार किया जाना चाहिए। कुछ अन्य ने टिप्पणी की है कि पीपीटीसी की गणना करने के लिए केवल सफल पोर्टिंग अनुरोधों पर विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में, एक हितधारक ने टिप्पणी की है कि 7वें संशोधन के कार्यान्वयन के साथ, पोर्टिंग अनुरोधों और सफल पोर्ट के बीच अंतर कम हो जाएगा और इसलिए एमएनपीएसपी पर इसका कोई इतना व्यापक वित्तीय प्रभाव नहीं होगा। एक अन्य हितधारक ने टिप्पणी की है कि असफल पोर्टिंग के मामले में भी एमएनपीएसपी को व्यय करना पड़ता है, यहां तक की असफल पोर्टिंग जो आमतौर पर सफल पोर्टिंग की तुलना में अधिक महंगी होती है। यह भी निवेदन किया गया था कि कुल पोर्ट अनुरोधों के आधार पर पीपीटीसी की तुलना में असफल पोर्टिंग अनुरोधों पर आधारित पीपीटीसी अधिक होगी। इसलिए, जो उपभोक्ता सफलतापूर्वक पोर्ट होते हैं, वे अंततः गैर-गंभीर सब्सक्राइबरों अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले सब्सक्राइबरों द्वारा किए गए निःशुल्क पोर्टिंग प्रयासों को सब्सिडी प्रदान करते हैं और उनके लिए भुगतान करते हैं।

## विश्लेषण

26. इस संबंध में, प्राधिकरण ने पाया कि कुल पोर्टिंग अनुरोधों और सफल पोर्टिंग के बीच का अंतर पिछले कुछ वर्षों से कम हो रहा है और 7 वें संशोधन के लागू होने के बाद इसके और अधिक कम होने की संभावना है। इसके अलावा, एमएनपीएसपी को असफल पोर्टिंग अनुरोधों पर भी खर्च उठाना पड़ता है। इसके अलावा, कई मामलों में, पोर्टिंग अनुरोध की विफलता एमएनपीएसपी के नियंत्रण से परे कारणों के चलते हो सकती है। इसलिए, प्राधिकरण ने पीपीटीसी निर्धारित करने के लिए प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध पर विचार करने का निर्णय लिया। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अधिकांश हितधारकों ने भी पोर्टिंग के अनुरोधों की कुल संख्या पर विचार करने का सुझाव दिया है।

## पीपीटीसी का निर्धारण

27. उपरोक्त विचारों के आधार पर, एमएनपीएसपी द्वारा प्रदान की गई मौजूदा सेवाओं के लिए प्राधिकरण ने निम्नलिखित पीपीटीसी का परिकलन किया है:

ब्योरा	इकाई	राशि
कर्मचारियों पर लागत#		1318.37
प्रसाशनिक एवं अन्य लागत#		2452.93
कंसल्टेंसी / रोयाल्टी चार्ज#	लाख में	1049.27
डिप्रेशिएशन एवं एमोर्टाइजेशन#		94.09
आरओसीई @ 15%#		1096.53
तीन वर्षों के लिए कुल लागत*	लाख रुपये में	<b>6011.19</b>
तीन वर्षों में असल पोर्टिंग	लाख में	<b>1102.08</b>
प्रति पोर्ट पोर्टिंग प्रभार	रुपये में	<b>5.45</b>

\* अशोध्य ऋणों/अशोध्य ऋणों और विदेशी विनिमय हानियों के लिए प्रावधान के अलावा (यहां तक कि यदि विदेशी मुद्रा से होने वाले घाटे पर विचार किया जाता है, तो यह पीपीटीसी गणना पर व्यापक प्रभाव नहीं डालेगा) यह संबंधित एमएनपीएसपी की कुल लागत पर आधारित है। इसमें 15 प्रतिशत की दर से आरओसीई भी शामिल है। लागत पूँजी को वित्तीय वर्ष के अंत तक फिक्स्ड एसेट्स, वर्क इन प्रोजेक्ट में लगे कुल पूँजी तथा नेट वर्किंग कॉपिटल (वर्तमान संपत्ति – वर्तमान देनदारियों) को शामिल कर निर्धारित किया गया है।

# तीन वित्तीय वर्षों की एग्रीगेट वैल्यू 2016–17, 2017–18 और 2018–19

## पीपीटीसी का वृद्धिशील घटक

28. सातवां संशोधन, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, डीओ डॉटाबेस से वास्तविक समय आधारित पूछताछ के बाद डीओ के बजाय एमएनपीएसपी द्वारा यूपीसी सृजन और एमएनपीएसपी द्वारा सब्सक्राइबर को स्टेट्स नोटिफिकेशन भेजना जैसी एमएनपी प्रक्रिया के प्रवाह में कतिपय परिवर्तन का उपबंध करता है। 7वें संशोधन के तहत परिकल्पित परिवर्तनों को लागू करने के लिए एमएनपीएसपी कतिपय केपेक्स और ओपेक्स लागत व्यय करनी पड़ सकती है। तदनुसार, 7वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त कार्य हेतु पीपीटीसी के वृद्धिशील घटक का परिकलन करने के लिए, प्राधिकरण ने 7वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य के संबंध में एमएनपीएसपी और टीएसपी से लागत अनुमान भी मांगा। तथापि, ऐसे एमएनपीएसपी द्वारा दिए गए लागत का अनुमान, जिसकी कुल लागत कम है, में चल रहे/मौजूदा प्रचालनों के साथ-साथ 7वें संशोधन के तहत परिकल्पित अतिरिक्त कार्य को सहायता प्रदान करने के लिए लागतें शामिल हैं। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, उक्त एमएनपीएसपी द्वारा दो लागत घटकों के पृथक करने के संबंध में आंकड़े प्राधिकरण को प्रदान नहीं

किए गए हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने 7वें संशोधन के कार्यान्वयन से जुड़े अतिरिक्त कार्यों के लिए पीपीटीसी के वृद्धिशील घटक का निर्धारण करने के लिए एमएनपीएसपी और टीएसपी (जो वर्तमान में यूपीसी सृजन और संबंधित प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं) सहित हितधारकों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का उपयोग किया है।

29. एमएनपीएसपी ने यह उल्लेख किया है कि उन्हें वृद्धिशील उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कर्मियों को जोड़ने की आवश्यकता है। तथापि, प्राधिकरण ने यह पाया कि 7वें संशोधन के परिणामस्वरूप किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य काफी हद तक स्वचालित होंगे तथा बिना किसी अथवा न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ किया जाएगा और एमएनपीएसपी द्वारा मौजूदा प्रचालन में तैनात किए गए मौजूदा कर्मी 7वें संशोधन के लिए परिकल्पित अतिरिक्त कार्य करने के लिए पर्याप्त होंगे।
30. एमएनपीएसपी को अपने मौजूदा प्रणाली में कठिपय छोटे-मोटे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आशोधन करने पड़ सकते हैं। उपयुक्त उल्लिखित प्रस्तुतिकरण के दौरान, एक एमएनपीएसपी ने यहां तक उल्लेख किया कि 7वें संशोधन के लिए अपेक्षित अल्पकालिक परिवर्तनों को स्वयं मौजूदा प्रणाली में किया जाएगा। इसका यह अभिप्राय होगा कि कार्यान्वयन करने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आशोधन कम से कम किए जाने चाहिए। अन्य एमएनपीएसपी ने उल्लेख किया है कि 7वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए उसे हार्डवेयर घटकों की कुल 4 इकाईयों की आवश्यकता होगी (अर्थात् एक बंडारण इकाई, आईटीएसएम/नेटवर्क और प्रणालीगत निगरानी के लिए एक साधन और एसएमपीपी सर्वरों के लिए दो इकाईयाँ)। तदनुसार, प्राधिकरण ने पाया कि 7वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए किया जाने वाले अपेक्षित अतिरिक्त कार्य से एमएनपीएसपी पर कोई अतिरिक्त केपेक्स और ओपेक्स लागत नहीं आएगी।
31. यदि 7वें संशोधन को लागू करने के लिए मौजूदा हार्डवेयर में सीमांत क्षमता का 'ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर' अथवा मौजूदा लाइसेंसप्राप्त सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाए तो इस पर आने वाली लागत न्यूनतम होनी चाहिए। यदि यह अनुमति दी जाती है कि परिवर्तनों को लागू करने के लिए नए अतिरिक्त हार्डवेयर और अलग से लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है, तो 7वें संशोधन के कार्यान्वयन में शामिल अतिरिक्त कार्य पर कुल 87 लाख रुपए प्रतिवर्ष की लागत आएगी। इसकी गणना करने के लिए, प्राधिकरण ने संबंधित परिचालन व्यय के साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास/लाइसेंसिंग पर पूंजीगत व्यय को मूल्यांकन माना है। प्रतिवर्ष 367 लाख की औसत पोर्टिंग अनुरोध की प्रमात्रा (अर्थात् पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत) पर विचार करते हुए, प्राधिकरण निर्धारित करता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि एमएनपीएसपी द्वारा आवश्यक हो तो, को कवर करने के लिए प्रति पोर्ट 23 पैसे की अतिरिक्त लागत पर्याप्त है। इसमें 7वें संशोधन के तहत एमएनपीएसपी द्वारा यूपीसी अनुरोधों पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त रूप से लागत कवर होगी। इस प्रकार, एमएनपी विनियम में किए गए 7वें संशोधन के अनुसार पीपीटीसी को समग्र एमएनपी प्रक्रिया को कवर करना होता है, जिसे निम्नानुसार परिकलित किया गया है:

ब्योरा	इकाई	राशि
तीन वर्षों के लिए कुल लागत	लाख रुपए में	6011.19
प्राप्त हुए पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या	लाख में	1102.08
प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत	रुपए में	5.45
पीपीटीसी का वृद्धिशील घटक	रुपए में	0.23
कुल प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत	रुपए में	5.68
1 प्रतिशत की दर से लाइसेंस शुल्क	रुपए में	0.06
प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार	रुपए में	5.74

32. एमएनपीएस ने यह भी उल्लेख किया कि प्राधिकरण को वार्षिक आधार की बजाय तीन वर्ष के आधार पर प्रशुल्क की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि इससे व्यवसाय में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होगी। प्राधिकरण ने इस पर विचार किया है और यह नोट किया है कि पीपीटीसी के वृद्धिशील घटक का निर्धारण करने के लिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आवश्यकताओं से संबंधित वास्तविक लागत डॉटा उपलब्ध नहीं है और यह केवल परिवर्तन लागू होने और सामग्री के बिलों के तैयार किए जाने/व्यय किए जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे। एक एमएनपीएसपी ने यह भी निवेदन किया कि 7 वें संशोधन का अनुपालन करने की लागत के साथ-साथ यूपीसी प्रमात्रा, इसे आरंभ किए जाने के समय पर ज्ञात

नहीं होती है। अन्य एमएनपीएसपी ने यह भी उल्लेख किया है कि किसी भी तात्कालिकता की स्थिति में प्रशुल्क की समीक्षा बीच की अवधि में की जा सकती है। वैसे भी, प्राधिकरण ने आवश्यकता होने पर एक वर्ष के बाद पीपीटीसी की समीक्षा करने पर विचार करने का निर्णय लिया है।

### अनुषंगी प्रभारों की समीक्षा

33. एमएनपी विनियमों में 7वें संशोधन से पहले परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों की टिप्पणियों के लिए अनुषंगी सेवा प्रभार का मुद्दा उठाया गया था। हितधारकों की टिप्पणियों की जांच के बाद, प्राधिकरण ने नोट किया कि अनुषंगी सेवा प्रभार का प्रावधान विनियमों में बना रहेगा जो कि प्रभारों की वास्तविक राशि को परिभाषित करने के समय परामर्श के अध्यधीन होगा अन्यथा इसे प्रति पोर्ट लेनदेन प्रभार में सम्मिलित कर लिया जाएगा।
34. तदनुसार, हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए निम्नवत प्रश्न उठाया गया था:  
क्या 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन' और 'अनुषंगी सेवाओं' के लिए प्रभारों को अलग से अथवा समेकित प्रभारों के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। कृपया आपके द्वारा सुझाई गई विधि को अपनाने के लिए तर्क के साथ— साथ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अन्य संसाधनों और ऊपरिव्युत आदि की लागत को इंगित करते हुए विस्तृत परिकलन के साथ अपनी प्रतिक्रिया का औचित्य सिद्ध करें।
35. हितधारकों को 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' और अनुषंगी प्रभारों के नाम से जाने वाले अन्य प्रभारों का निर्धारण करने के लिए नीचे दिए गए दो विकल्पों पर टिप्पणी प्रदान करनी थी:-
  - (i) लागत के आधार पर अथवा वैकल्पिक रूप से, 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार', 'नंबर रिटर्न प्रभार', 'डॉटाबेस डॉउनलोड प्रभार', 'पोर्ट रद्दीकरण प्रभार', 'सब्सक्राइबर पुनर्कनेक्शन प्रभार' और 'भुगतान नहीं किए जाने पर नम्बर बंद करने हेतु प्रभार' के लिए पृथक प्रभार का निर्धारण किया जा सकता है;
  - (ii) केवल एक शुल्क अर्थात् 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' को लागू किया जा सकता है और अन्य सभी प्रभारों की लागत जिन्हें 'अनुषंगी प्रभार' कहा गया है को 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' में सम्मिलित किया जा सकता है।
36. इस संबंध में, अधिकांश हितधारकों ने उल्लेख किया है कि 'अनुषंगी प्रभारों' के लिए भी प्रभारों को सम्मिलित करते हुए एक समेकित 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' होना चाहिए। एक हितधारक ने टिप्पणी की है कि 'नंबर रिटर्न', 'सब्सक्राइबर रिकनेक्शन' और 'नॉन-पेमेंट डिस्कनेक्शन' को पृथक रूप से प्रभारित किया जाना चाहिए, जबकि 'पोर्ट कैंसिलेशन चार्ज' को पीपीटीसी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, डॉटाबेस डॉउनलोड निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। एक एमएनएसपीएस ने बार-बार डॉउनलोड किए जाने से उसके दुरुपयोग से बचने के लिए डॉटाबेस डॉउनलोड के लिए प्रति ऑपरेटर कोटा निर्धारित करने का भी प्रस्ताव रखा।

### विश्लेषण

37. नीचे यथा उल्लिखित क्रियाकलापों को करने के लिए दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 में, एमएनपीएसपी को भुगतान किए जाने वाले अनुषंगी सेवा प्रभार का उपबंध विनियम में किया गया है:
  - (क) नंबर रिटर्न चार्ज : भुगतान न करने सहित किसी भी कारण के बाद नंबर रेंज होल्डर को मोबाइल नंबर वापस करने की सुविधा के लिए नंबर रिटर्न चार्ज।
  - (ख) डॉटाबेस डॉउनलोड प्रभार : पहुंच सेवा प्रदाता द्वारा नंबर पोर्टेबिलिटी डॉटाबेस डॉउनलोड करने के लिए डॉटाबेस डॉउनलोड प्रभार।
  - (ग) पोर्ट रद्दीकरण प्रभार: प्रदाता प्रचालक के सब्सक्राइबर के 'पोर्ट वापसी' के अनुरोध के निष्पादन के लिए पोर्ट रद्दीकरण प्रभार।
  - (घ) सब्सक्राइबर रिकनेक्शन प्रभार : अपने नेटवर्क में प्राप्तकर्ता ऑपरेटर के पोर्ट किए गए सब्सक्राइबर को पुनः जोड़ने की सुविधा के लिए सब्सक्राइबर रिकनेक्शन प्रभार।

(ङ) नॉन- पेमेंट डिस्कनेक्शन प्रभार : ऐसे पोस्टपेड सब्सक्राइबर जिन्होंने अपना नंबर पोर्ट कराने के पश्चात् प्रदाता ऑपरेटर का बकाया नहीं चुकाया है उनके मोबाइल नंबर को बंद करने को सुकर बनाना।

38. अनुषंगी सेवाओं के लिए पृथक् प्रभारों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पीपीटीसी को 'लागत-प्लस' के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि एमएनपीएसपी द्वारा इसकी सभी सेवाओं को प्रदान करने में एमएनपीएसपी की सभी लागतों का पीपीटीसी को परिकलित करते हुए ध्यान में रखा गया है। यह नोट किया जा सकता है कि एमएनपी विनियमों के 7 वें संशोधन में यथा सूचीबद्ध अनुषंगी सेवाएं, पहले से ही एमएनपीएसपी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका: जनवरी से दिसम्बर, 2018 के अवधि के लिए अनुषंगी क्रियाकलापों के बारे में जानकारी

एमएनपी अंचल	प्राप्त हुए वापसी के अनुरोधों की संख्या	डॉटाबेस डॉउनलोड की कुल संख्या	प्राप्त हुए पोर्ट रद्दीकरण के अनुरोधों की संख्या	प्राप्त हुए सब्सक्राइबर रिकनेक्शन अनुरोधों की संख्या	प्राप्त हुए एनपीडी अनुरोधों की संख्या
अंचल I	9351497	954	107517	787266	1620505
अंचल II	7691841	1499	14972	शून्य <sup>1</sup>	480104
कुल	17043338	2453	122489	787266	2100609
प्रतिमाह औसत	1420278	204	10207	65606	175051

39. प्राधिकरण ने पीपीटीसी का निर्धारण करने के लिए 'कॉस्ट प्लैस' पद्धति का उपयोग किया है। वैसे भी, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए सेवाएं प्रदान करने में आने वाली कुल लागतों को ध्यान में रखते हुए, अनुषंगी सेवाएं प्रदान करने हेतु लागतें भी शामिल की गई हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों की लागतों को ध्यान में रखते हुए, एमएनपीएसपी द्वारा किए गए किसी भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर परिवर्तनों की लागतें पर भी विचार किया गया है। इसलिए, प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि 'अनुषंगी सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग- अलग शुल्क आवश्यक नहीं हैं क्योंकि पीपीटीसी का परिकलन करने के लिए सभी सेवाओं को प्रदान करने के लिए लागत पर विचार किया गया है। इसके अलावा, डॉटाबेस डॉउनलोड की वर्तमान प्रमात्रा को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि टीएसपी द्वारा डॉटाबेस डॉउनलोड के लिए कोई कोटा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, डॉटाबेस डॉउनलोड की वर्तमान प्रमात्रा को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि टीएसपी द्वारा डॉटाबेस डॉउनलोड के लिए कोई कोटा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

#### डिपिंग प्रभारों की समीक्षा

40. हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए निम्नवत प्रश्न उठाया गया था:
- क्या डिपिंग प्रभार, जो वर्तमान में 'फारबीयरेंस' के तहत है, की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो डिपिंग प्रभारों की दरें निर्धारित करने के लिए पद्धति का सुझाव दें। अपनी प्रतिक्रिया का औचित्य के साथ समर्थन करें।
41. अधिकांश हितधारकों ने टिप्पणी की है कि डिपिंग प्रभार 'फारबीयरेंस' के तहत जारी रहने चाहिए और कोई भी सेवा प्रदाता जिसे एमएनपीएसपी के तहत डिपिंग सेवाओं की आवश्यकता होती है, वह एमएनपीएसपी के साथ पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर इसका लाभ उठा सकता है। एक हितधारक ने टिप्पणी की है कि आज तक, किसी भी ऑपरेटर ने इस सेवा का उपयोग नहीं किया है और इसलिए, एमएनपीएसपी को अतिरिक्त लागत संबंधित अवसंरचना को हटाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

<sup>1</sup> अंचल II ने प्राप्त किए गए 'सब्सक्राइबर रिकनेक्शन अनुरोधों' के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।

42. विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों का विश्लेषण करने के पश्चात्, प्राधिकरण निर्णय लेता है कि डिपिंग प्रभार 'फारबीयरेंस' के तहत जारी रहेंगे। एमएनपीएसपी और पहुंच प्रदाता अथवा आईएलडीओ, जो एमएनपीएसपी की पूछताछ प्रतिक्रिया प्रणाली का उपयोग करने का इच्छुक हो, उन दोनों के द्वारा डिपिंग चार्ज को पारस्परिक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।

उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले पोर्टिंग प्रभार की समीक्षा

43. एमएनपी प्रभारों संबंधी विनियमों में यथा उपबंधित, दूरसंचार प्रशुल्क (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009 में प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार को प्रशुल्क की अधिकतम सीमा के रूप में विहित किया गया था, जिसे प्राप्तकर्ता ऑपरेटर द्वारा सब्सक्राइबरों से प्रभारित किया जा सकता है। तदनुसार, हितधारकों की टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठाया गया था:
- क्या सब्सक्राइबर द्वारा प्राप्तकर्ता प्रचालक को भुगतान किए जाने वाले पोर्टिंग प्रभार, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अधिकतम प्रभार के रूप में निर्धारित किए जाते रहने चाहिए? यदि नहीं, तो कृपया सब्सक्राइबर द्वारा पोर्टिंग प्रभार के परिकलन के लिए पद्धति और ध्यान दिए जाने वाले विभिन्न बिंदु सुझाएं।
44. लगभग सभी हितधारकों ने मौजूदा पद्धति को जारी रखने का सुझाव दिया है। इस संबंध में, एक हितधारक ने टिप्पणी की है कि दूरसंचार बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण, पोर्टिंग प्रभार, जिसे उपभोक्ता द्वारा पोर्टिंग अनुरोध का सृजन करने के लिए भुगतान किया जाता है, प्राप्तकर्ता ऑपरेटरों द्वारा अवशोषित किया जा रहा है।
45. एक अन्य हितधारक ने टिप्पणी की कि हाल ही में कुछ टीएसपी के बंद होने और क्षेत्र में चल रहे समेकन के कारण, सब्सक्राइबरों को मजबूर होकर पोर्टिंग का सहारा लेना पड़ रहा है और इसलिए, सब्सक्राइबरों के हित में, जबरन की जाने वाली पोर्टिंग के लिए कोई शुल्क देय नहीं होना चाहिए।
46. वर्तमान मुद्दों का विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभारों की मौजूदा पद्धति सब्सक्राइबरों द्वारा प्राप्तकर्ता ऑपरेटर को भुगतान किए जाने वाले पोर्टिंग प्रभारों की अधिकतम सीमा बनी रहेगी।

मसौदा विनियमों को जारी किए जाने के उपरांत हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दे

47. हितधारकों ने मुख्यतः विभिन्न मुद्दों पर अपने पिछली टिप्पणियों को ही दोहराया है। कतिपय नई टिप्पणियों को भी प्रस्तुत किया गया है। उठाए गए विभिन्न मुद्दे और इस पर किया गया विचार— विमर्श निम्नानुसार है:
- 47.1 एक एमएनएसपी ने यह उल्लेख किया कि मौजूदा प्रचालनों के लिए कुल चालू लागतों पर चर्चा करते हुए और साथ ही सातवें संशोधन के तहत परिकल्पित परिवर्तनों पर निर्णय लेते हुए, उपयुक्त हितधारक एमएनपीएसपी हैं न कि दूरसंचार सेवा प्रदाता, जिनके पास लागत को तो एक ओर छोड़िए, तकनीकी रूप से, एमएनपीएसपी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में शामिल जटिल तथा कठिन प्रक्रिया का मूल्यांकन करने और/अथवा टिप्पणियां करने के लिए तकनीकी ज्ञान का अभाव है। प्राधिकरण उक्त एमएनपीएसपी द्वारा अपनाए गए रूख से असहमत है क्योंकि टीएसपी इस समग्र परामर्श प्रक्रिया के समान रूप से महत्वपूर्ण हितधारक हैं। इसके अलावा, एमएनपीएसपी को अब सौंपे गए प्राथमिक अतिरिक्त कार्य अर्थात् यूपीसी सृजन करने का कार्य, को वर्तमान में टीएसपी द्वारा ही किया जा रहा है। किसी भी स्थिति में, टीएसपी से पूछना सर्वथा उचित होगा कि वे उस मूल्य के संबंध में अपनी टिप्पणियां दें जिसका भुगतान उनके द्वारा किया जाना है। परामर्श प्रक्रिया का मूलभूत आधार मुद्दे से प्रभावित होने वाले पृथक हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करना है।
- 47.2 टीएसपी ने दोहराया है कि रॉयल्टी/परामर्श/लाइसेंसिंग की लागत की शाश्वत रूप से वसूली नहीं की जा सकती है चूंकि एमएनपीएसपी ने पिछले 8 से 9 वर्षों के दौरान पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल की है। तदनुसार, टीएसपी ने प्राधिकरण से पीपीटीसी के परिकलन करने के लिए इन लागतों को अलग रखने का अनुरोध किया है और केवल सेवा सृजन/सेवा प्रदान किए जाने की लागत को ही सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया है जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रचालन तथा रखरखाव। तथापि प्राधिकरण ने एमएनपीएसपी के वार्षिक लेखा में उपलब्ध ऐतिहासिक लेखा परीक्षित लागत घटक पर विचार करने का निर्णय लिया है।

- 47.3 एमएनपीएसपी ने यह भी दोहराया है कि अशोध्य ऋण को वहन करने की लागत, वास्तविक लागत है और इन्हें समग्र लागतों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। एमएनपीएसपी का यह मत है कि विभिन्न टीएसपी द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं किया जाना उनके समग्र वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा है। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि एमएनपी विनियमों के विनियम 15 के अनुसार, प्राप्तकर्ता आपरेटर (आरओ) को बिल की गई पीपीटीसी राशि को एमएनपीएसपी को बिल की प्राप्ति के पंद्रह दिनों अथवा ऐसी समय सीमा के भीतर भुगतान करना अपेक्षित होता है जिस पर वे आपस में सहमत हों। यदि आरओ इन विनियमों का पालन नहीं करते हैं, तो यह दोनों सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद हो जाता है तथा उपयुक्त समाधान प्राप्त करने के लिए दोनों में से कोई भी पक्ष माननीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण (टीडीएसएटी) जा सकता है। इसलिए, प्राधिकरण का मत है कि पीपीटीसी का परिकलन करते हुए अशोध्य ऋण को लागत घटक नहीं माना जा सकता है।
- 47.4 एक एमएनपीएसपी ने यह भी सुझाव दिया है कि टीएसपी द्वारा एमएनपीएसपी को देर से भुगतान करने पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए ताकि अशोध्य ऋण का प्रभाव कम से कम हो। प्राधिकरण ने उक्त एमएनपीएसपी के सुझाव पर सावधानीपूर्वक विचार किया है तथा उसका मत है कि इसे मुख्य रूप से दो कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है अर्थात् सर्वप्रथम्, भुगतान न करने अथवा विलंब से भुगतान के लिए जुर्माना लगाना वर्तमान परामर्श के दायरे से बाहर है क्योंकि इन्हें एमएनपी प्रभार संबंधी विनियमों के तहत प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, दूसरे, जैसा कि पहले से ही पिछले पैरा में उल्लेख किया गया है, माननीय टीडीसैट में समाधान के लिए आवेदन करते समय, हमेशा टीएसपी द्वारा गैर-भुगतान अथवा विलंब से किए जाने वाले भुगतान के लिए उपयुक्त उपाय कर सकते हैं। एक अन्य एमएनपीएसपी ने सुझाव दिया कि एमएनपीएसपी को चूककर्ता टीएसपी को एमएनपी सेवाएं उपलब्ध कराने से वंचित करना चाहिए। प्राधिकरण ने इस सुझाव पर विचार किया है और पुनः वह इसे दो मुख्य कारणों से स्वीकार नहीं कर सकता है अर्थात् सर्वप्रथम्, एमएनपीएसपी को चूककर्ता टीएसपी को एमएनपी सेवाएं उपलब्ध कराने से वंचित करना, वर्तमान परामर्श प्रक्रिया के क्षेत्राधिकार से इतर है, दूसरे और अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह इच्छुक सब्सक्राइबर के हितों को क्षति पहुंचाएगा जो उक्त टीएसपी को अपना नम्बर पोर्ट करना चाहते हैं।
- 47.5 एमएनपीएसपी ने आगे यह निवेदन किया है कि 6011.19 लाख रुपए की कुल लागत का विस्तृत ब्योरा मसौदा विनियमों में उपलब्ध नहीं कराया गया था। यह इस बात को जानने के लिए अनिवार्य है कि पीपीटीसी का परिकलन करने के लिए किन लागतों को शामिल नहीं किया गया है। एक एमएनपीएसपी ने उल्लेख किया कि पारदर्शिता के मद्देनजर, प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने वाले लागत ब्योरे को एमएनपीएसपी के साथ साझा किया जाना चाहिए ताकि वे अनुमन्य और/ अथवा अस्वीकृत की लागतों से अवगत हो सकें। तथापि, यह देखा गया है कि खुला मंच चर्चा के दौरान उक्त एमएनपीएसपी ने दावा किया है कि कुछ लागतें हैं जिन्हें साझा किया जा सकता है और कुछ लागतें ऐसी हैं जिन्हें इस तथ्य के कारण सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जा सकता कि वे ऐसी लागतें हैं जो उनके लिए व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी हैं और इससे अन्य देशों में बोली लगाने हेतु उनकी मूल कंपनियां बाधित होंगी।
- 47.6 उक्त एमएनपीएसपी ने यह भी कहा है कि कई अभ्यावेदनों के बावजूद, प्राधिकरण ने वास्तविक लागतों को नकारात्मक और अनौचित्यपूर्ण तरीके से अस्वीकृत कर दिया है। इसने यह भी सिफारिश की है कि प्राधिकरण को एक तृतीय— पक्ष अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त करना चाहिए, जिसके पास लागतों, पोर्टिंग 'वॉल्यूम' और परिणामी प्रशुल्क की समीक्षा करने और निर्धारण करने के लिए क्षेत्रगत विशेषज्ञता हो। इस संबंध में इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि प्राधिकरण ने एमएनपीएसपी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के माध्यम से उपलब्ध कुल लागतों पर विचार किया है, जिसमें कतिपय अपवाद जैसे अशोध्य ऋण/अशोध्य ऋण हेतु व्यवस्था, मुद्रा में उत्तार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान शामिल हैं (इसके लिए पर्याप्त रूप से विस्तृत ब्योरा दिया गया है)। इसके अलावा, प्राधिकरण ने पीपीटीसी का निर्धारण करने के लिए दो एमएनपीएसपी में से अधिक किफायती एमएनपीएसपी की कुल लागत पर विचार किया है (जिसमें रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क तथा मूल्यद्वास शामिल हैं, जैसा कि लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है)। दूसरे शब्दों में, पीपीटीसी का निर्धारण करने के लिए एमएनपीएसपी की कुल लागत तथा पोर्ट 'वॉल्यूम' डॉटा सहित निम्न प्रति पोर्ट ट्रांसेक्शन लागत पर विचार किया गया है।

47.7 व्याख्यात्मक ज्ञापन में लागतों के विस्तृत ब्योरे (6011.19 लाख रुपए) को दर्शाने वाली एक संशोधित तालिका भी जोड़ी गई है। यह अधिक उपयुक्त होगा यदि एमएनपीएसपी अपनी लागत संरचना की समीक्षा करें और लागत दक्षता प्राप्त करने के लिए सुधार किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करें।

47.8 एमएनपीएसपी ने फिर से यह दावा किया है कि नियोजित पूँजी पर लाभ 15 प्रतिशत की दर से पर्याप्त नहीं है और इसे करों के भुगतान के बाद मापा जाना चाहिए ताकि नियोजित पूँजी पर पर्याप्त लाभ प्रदान किया जा सके। एक एमएनपीएसपी ने 25 प्रतिशत की दर से लागत में वृद्धि करने का सुझाव दिया है। इस मुद्दे का पहले से ही मसौदा विनियमों में पर्याप्त रूप से समाधान किया गया और व्याख्यात्मक ज्ञापन में विस्तृत से स्पष्ट किया गया है। प्राधिकरण ने दोहराया कि एमएनपीएसपी ने रोस (आरओसीई) की दर पर पुनर्विचार करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण उपलब्ध नहीं कराया है। इसलिए, मौजूदा पद्धति के अनुसार, कुल लागत का निर्धारण करने के लिए नियोजित की गई पूँजी पर 15 प्रतिशत की दर से लाभ प्रदान करने पर विचार किया गया है। एक अन्य एमएनपीएसपी ने नियोजित की गई पूँजी की गणना का आधार उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि नियोजित पूँजी की गणना अचल संपत्तियों के शुद्ध बही मूल्य, चल रहे कुल पूँजीगत कार्यों और वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध कार्यशील पूँजी के रूप में की गई है।

47.9 एमएनपीएसपी ने आगे निवेदन किया है कि पीपीटीसी में कमी से सहायक सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा, डॉटाबेस डॉउनलोड की दर प्रति माह दो निःशुल्क डॉउनलोड के पश्चात 15000/- रुपए की दर से निर्धारित की जानी चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकरण ने पाया है कि संबंधित एमएनपीएसपी ने विरोधाभासी टिप्पणियां की हैं। वहीं दूसरी ओर, उक्त एमएनपीएसपी ने यह स्वीकार किया कि इन सेवाओं की लागतें पहले से ही विगत की लागतों में शामिल थीं, जबकि दूसरी ओर, यह दावा किया गया कि पीपीटीसी में कमी से प्रभावी रूप से ऐसी सेवाएं निःशुल्क में प्रदान की जाएंगी। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि प्राधिकरण ने पीपीटीसी का निर्धारण करने के लिए एमएनपीएसपी द्वारा वहन की गई सभी संगत लागतों पर विचार किया है (पूर्व में स्पष्ट किए गए कठिपय शीर्ष के अलावा) जिसमें 'अनुषंगी' सेवाएं उपलब्ध कराने की लागतें शामिल हैं। इसलिए, प्राधिकरण इस संबंध में मसौदा विनियमों को बदलने का कोई कारण नहीं पाता है।

47.10 एमएनपीएसपी द्वारा यह भी दावा किया गया कि प्राधिकरण ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास के लिए पूँजीगत लागत की पूर्णतः अनदेखी करते हुए सातवें संशोधन की लागत के रूप में 87 लाख रुपए की लागत के आंकड़े को मनमाने दंग से लिया है। एमएनपीएसपी ने आगे यह भी दावा किया है कि प्राधिकरण ने एमएनपीएसपी द्वारा केपेक्स और ओपेक्स में पर्याप्त वृद्धि किए जाने संबंधी अपेक्षा के पीछे तर्क नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर, कुछ टीएसपी का यह मत है कि अतिरिक्त लागत/निवेश एमएनपीएसपी की मौजूदा लागतों का 1 से 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। एक टीएसपी ने सुझाव दिया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ यह लागत 87 लाख से घटकर 25 प्रतिशत रह जाएगी। सातवें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए पीपीटीसी के वृद्धिशील घटक की गणना के औचित्य और आधार का मसौदा विनियम में विस्तार से उल्लेख किया गया था। इस संबंध में, यह दोहराया जाता है कि 7 वें संशोधन के परिणामस्वरूप किया जाने वाला अतिरिक्त कार्य काफी हद तक बिना किसी अथवा न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ स्वचालित होगा और मौजूदा प्रचालनों में एमएनपीएसपी द्वारा तैनात मौजूदा कर्मचारी 7 वें संशोधन के तहत किए गए अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे। जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, 7 वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए शामिल किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए पीपीटीसी के वृद्धिशील घटक का निर्धारण करने के लिए एमएनपीएसपी और टीएसपी (जो वर्तमान में यूपीसी सृजन और संबद्ध प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं) सहित हितधारकों द्वारा प्रदान किए गए डॉटा का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, संबंधित एमएनपीएसपी की इन धारणाओं के संबंध में कि वास्तविक आंकड़े पर विचार नहीं किया गया है, यह उल्लेखनीय है कि एमएनपीएसपी में से किसी ने भी 7 वें संशोधन के लिए परिकल्पित अतिरिक्त कार्य से संबंधित वास्तविक व्यय (सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संबंधी आवश्यकताओं) से जुड़े आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसलिए, प्राधिकरण ने एक वर्ष पश्चात्, विगत के लेखापरीक्षित आंकड़े उपलब्ध होने पर पीपीटीसी और अन्य प्रभारों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

47.11 एक एमएनपीएसपी ने यह उल्लेख किया कि प्राधिकरण ने पीपीटीसी से यूपीसी सृजन हेतु पृथक प्रभारों की आवश्यकता पर विचार नहीं किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि यूपीसी सृजन तथा एसएमएस को संसाधित करने के अलावा, सातवें संशोधन के तहत पोर्टिंग

प्रक्रिया हेतु कतिपय अन्य परिवर्तन भी हैं, जो लागतों में भी वृद्धि करेंगे और उन पर विचार नहीं किया गया है (उदाहरण के लिए गैर-भुगतान और पुनः कनेक्शन करना)। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि मसौदा विनियमों में यथा प्रस्तावित पीपीटीसी के वृद्धिशील घटक की गणना, यूपीसी अनुरोधों को संभालने सहित 7वें संशोधन के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अतिरिक्त कार्यों की अनुमानित लागत को कवर करती है और इसलिए, इन विनियमों के तहत पीपीटीसी के संशोधित प्रशुल्क पर्याप्त रूप से 7वें संशोधन के तहत एमएनपीएसपी द्वारा वहन किए जाने वाले इन व्यय को पर्याप्त रूप से सम्मिलित करता है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकरण ने एक वर्ष पश्चात्, विगत के लेखापरीक्षित आंकड़े उपलब्ध होने पर पीपीटीसी की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

47.12 एक एमएनपीएसपी ने टिप्पणी की है कि पोर्टिंग राजस्व में हुई महत्वपूर्ण कमी को देखते हुए, प्राधिकरण को एमएनपीएसपी को दोनों एमएनपी क्षेत्रों से डॉटा प्राप्त करने में सक्षम बनाना चाहिए और एमएनपीएसपी और तृतीय पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हुई व्यावसायिक शर्तों के तहत तृतीय पक्षों को डिपिंग सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। उक्त एमएनपीएसपी ने कहा है कि इससे एमएनपीएसपी को अनेक सेवाओं में कुछ परिसंपत्तियों और संसाधनों को साझा करने की अनुमति मिल सकती है। जबकि, एमएनपीएसपी की लागत में बदलाव नहीं होगा, उनमें से कुछ भाग को डिपिंग के लिए आवंटित कर उन लागतों को कम किया जा सकता है। इस संबंध में, प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि डिपिंग प्रभारों से संबंधित प्रशुल्क ‘फारबीयरेस’ के तहत है और एमएनपीएसपी द्वारा उठाया गया मौजूदा मुद्दा इस परामर्श प्रक्रिया के दायरे से बाहर है।

47.13 एक एमएनपीएसपी ने दिनांक 01 जनवरी, 2020 तक नए पीपीटीसी प्रशुल्क के कार्यान्वयन को विलम्बित करने का अनुरोध किया है। आगे यह अनुरोध किया गया कि है कि सभी हितधारकों द्वारा सातवें संशोधन के कार्यान्वयन के पश्चात् माह की प्रथम तिथि से नए प्रशुल्क कार्यान्वयन किए जाने चाहिए। प्राधिकरण ने एमएनपीएसपी द्वारा माह के दौरान प्रशुल्क में परिवर्तन किए जाने के फलस्वरूप बिलिंग प्रणाली में सामना की जा रही समस्या पर विचार किया। तथापि, प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि संशोधित प्रशुल्क विशिष्ट रूप से सातवें संशोधन के कार्यान्वयन हेतु वृद्धिकारक घटक को कवर करता है और इसलिए, सातवां संशोधन और संशोधित प्रशुल्क एक साथ लागू होने चाहिए। एमएनपीएसपी द्वारा व्यक्त की गई समस्या का उनकी बिलिंग प्रणाली में सुगमता से समाधान किया जाना चाहिए।

47.14 एक टीएसपी ने दिनांक 31 जनवरी, 2018 (अर्थात् जब एमएनपी प्रभार संबंधी विनियमों में पिछले संशोधन को अधिसूचित किया गया था) से लेकर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उक्त संशोधन को समाप्त किए जाने के पश्चात् मौजूदा संशोधन लागू होने की तिथि के दौरान लागू पीपीटीसी दर के संबंध में प्राधिकरण से स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में प्राधिकरण का यह मत है कि पक्षकारों के दावे तथा देयताएं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2019 के आदेश के माध्यम से दिए गए निष्कर्ष/की गई टिप्पणियों पर निर्भर करेगा। पक्षकारों द्वारा किसी मुद्दे पर मतान्तर होने के कारण, किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में क्षुब्ध पक्ष अपनी शिकायतों के समाधान के लिए उपयुक्त मंच पर जा सकता है।

47.15 टीएसपी ने प्राधिकरण से दोनों एमएनपीएसपी के लिए समग्र 22 सेवा क्षेत्रों को खोलकर एमएनपीएसपी का चयन करने में टीएसपी के साथ-साथ सब्सक्राइबरों के लिए विकल्प नहीं होने की स्थिति को समाप्त कर एमएनपी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा के मुद्दे का समाधान करने का अनुरोध भी किया। अन्य हितधारक ने अधिक कुशल प्रक्रियाओं का सृजन करने तथा प्रचालन की लागत को कम करने के लिए ‘ब्लॉकचेन’ को अपनाने की वकालत की है। प्राधिकरण ने इन टिप्पणियों पर विचार किया है तथा वह इस बात से सहमत है कि एमएनपी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने से एमएनपी सेवाओं में कुशलता तथा नवोन्मेष में सुधार होगा। तथापि, इन सुझावों का मौजूदा परामर्श प्रक्रिया में समाधान नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण सामान्य रूप से दूरसंचार सेवाओं तथा विशिष्ट रूप से एमएनपी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने तथा कुशलता को बढ़ावा देने के लिए उपाय करता रहेगा।

47.16 एमएनपीएसपी ने निवेदन किया है कि पीपीटीसी का परिकलन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने वाले पोर्ट ‘वॉल्ट्यूम’, मौजूदा ‘वॉल्ट्यूम’ अथवा भविष्य के लिए परिकलित ‘वॉल्ट्यूम’ को नहीं दर्शाते हैं, जिसपर पीपीटीसी लागू होंगे। एमएनपीएसपी ने टीएसपी द्वारा प्रचालनों को बंद किए जाने/उनके विलय के परिणामस्वरूप एक बार होने वाले चढ़ाव हेतु पोर्ट परिमाण को सामान्य बनाने के दावे को

दोहराया है। एक एमएनपीएसपी ने पीपीटीसी का परिकलन करने के लिए उच्च अथवा कम संख्या का उपयोग करने हेतु जोखिम को कम से कम करने के लिए चरणबद्ध मूल्यनिर्धारण ढांचे का भी सुझाव दिया है।

- 47.17 प्राधिकरण ने टीयर्ड मूल ढांचे के बारे में दिये गये सुझावों की जांच की है। ऐसी पदधति में अनेक सापेक्ष अवधारणाओं का समावेश करना पड़ेगा तथा दोनों एमएनपीएसपी तथा टीएसपी के लिए लागू करने में दुर्भाग्य होगा। अतः यह व्यवहारिक विकल्प नहीं होगा। प्राधिकरण ने एमएनपीएसपी के दूसरे नियेदन पर विचार किया तथा यह निर्णय किया कि एक बार की अपवादी पोर्टिंग, जो कि टीएसपी के बंद या एक होने से हुई है उसे पोर्टिंग मात्राओं के आकलन हेतु लिए जाना चाहिए जिससे कि वे ऐसी फोर्सड पोर्टिंग के अभाव में होने वाली सामान्य पोर्टिंग का उचित प्रदर्शन करें। मुख्य सेवा प्रदाताओं के बीच का बाजार कुछ हद तक स्थिर हो चुका है तथा टीएसपी के बंद या एक होने के कारण होने वाली असामान्य वृद्धि निकट भविष्य में होने की संभावना कम है। अतः पीपीटीसी निर्धारित करने में पोर्टिंग मात्रा के अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के कारण यह आवश्यक है कि विचाराधीन पोर्टिंग मात्रा जितनी सामान्य हो सकती है उतनी हो। अतः प्राधिकरण ने पोर्टिंग मात्राओं को विनियमों के मसौदे में उस सीमा तक सामान्य किया था कि उन वर्षों में तीन वर्षों का औसत लेकर वृद्धियों को सामान्य किया जाय। तथापि पोर्टिंग मात्राओं में मौजूदा रुझान फोर्सड पोर्टिंग को हटाने के बाद पोर्टिंग मात्राओं के अधिक सदृश्य दिखते हैं। यह विशेषकर उसके लिए उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि संबंधित उपयुक्त जानकारी/डाटा प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।
- 47.18 दोनों एमएनपीएसपी ने टीएसपी के बंद होने/एक होने के कारण हुई एक बार की वृद्धि के अपने अनुमान दिए हैं। उपयुक्त एमएनपीएसपी ने 190.76 लाख पोर्ट को असामान्य अर्थात् उक्त समयावधि में टीएसपी के बंद या एक होने के कारण, इस आधार पर बताया है कि वृद्धियों समान रुझानों से अधिक थी। लेकिन पोर्टिंग में हुई सभी वृद्धियों के टीएसपी के बंद होने या एक होने के कारण फोर्सड पोर्टिंग मान लेना उचित नहीं होगा। भारत में 95 प्रतिशत से अधिक मोबाइल उपभोक्ता प्रीपेड कनेक्शन हैं जिसके एकाउंट में प्रायः कुछ राशि बची रहती है इसे उपभोक्ता पोर्टिंग के पहले सदैव इस्तेमाल करना चाहेगा। इसके अलावा इनमें से कुछ पोर्ट अनुरोध टीएसपी के बंद या एक होने से भिन्न दूसरे कारणों से हुए होंगे जैसे कि सेवा की घटिया गुणवत्ता, दूसरे टीएसपी के द्वारा दी गई बेहतर टैरिफ दरें/सेवायें इत्यादि। अतः प्राधिकरण ने यह निर्णय किया है कि वह फोर्सड पोर्टिंग मात्रा का आकलन तुलनात्मक रूप से अधिक वस्तुगत मानक के उपयोग द्वारा करेगा जिसे एमएनपीएसपी और टीएसपी द्वारा संबंधित महिनों में प्राधिकरण को दी गई सूचना के आधार पर किया जायेगा। टीएसपी ने संबंधित लाईसेंस सर्विस एरिया में अपनी गतिविधियों के बंद होने/एक होने के तिथियों की सूचना प्राधिकरण को दी है। एमएनपीएसपी ने भी प्राधिकरण को स्वतंत्र रूप से टीएसपी-वार तथा लाईसेंस सर्विस एरिया में टीएसपी की सेवा के बंद होने से लेकर (जैसा कि प्राधिकरण को रिपोर्ट किया गया है) जिस महिने तक प्राधिकरण ने टीएसपी तथा एमएनपीएसपी को उपभोक्ता पोर्टिंग को पूरा करने का निर्देश दिया था, बंद/एक होने वाले टीएसपी की पोर्ट आउट मात्राओं को फोर्सड पोर्टिंग माना जायेगा और पोर्टिंग मात्राओं को उस सीमा तक सामान्यकृत किया जायेगा।
- 47.19 उपयुक्त मानदंड पर विचार करने के बाद यह पाया जाता है कि मसौदा विनियमों में प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त एमएनपीएसपी के लिए विचारित कुल पोर्ट मात्रा 1102.08 लाख में से 120.60 लाख पोर्ट मात्रा टीएसपी के बंद/एक होने के कारण हुई एक बार की वृद्धि के कारण है। अतः उपयुक्त एमएनपीएसपी के लिए सामान्यकृत पोर्ट मात्रा 981.48 लाख है (अन्य शब्दों में 327.16 लाख एक साल में)। सामान्यकृत पोर्ट मात्रा को वर्तमान पोर्टिंग मात्रा (प्राधिकरण ने जनवरी से जुलाई, 2019 की पोर्ट मात्रा, जो अब उपलब्ध है) से तुलना करने पर यह उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2019 से हो रही पोर्टिंग मात्रा को वार्षिक आधार पर आंकलित करने पर उपयुक्त एमएनपीएसपी की पोर्ट मात्रा 313 लाख होगी। अतः प्राधिकरण द्वारा आंकलित सामान्यकृत पोर्ट मात्रा मौजूदा पोर्ट मात्रा की रुझान को उचित रूप से प्रदर्शित करती है।

47.20 उपर्युक्त के आधार पर पीपीटीसी का संशोधित गणना निम्नलिखित है:

क्रम सं.	ब्योरा	इकाई	राशि
क	तीन वर्षों के लिए कुल लागत	लाख रुपए में	6011.19
ख	तीन वर्षों में प्राप्त हुए पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या	लाख में	1102.08
ग	तीन वर्षों में असामान्यकृत पोर्टिंग (टीएसपी के बंद/एक होने से)		120.60
घ	तीन वर्षों में सामान्यकृत पोर्टिंग की मात्रा (ख-ग)		981.48
च	प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत (क/घ)	रुपए में	6.125
छ	7वें संशोधन में निर्धारित कार्यक्षमताओं के लागू करने पर प्रति वर्ष अतिरिक्त लागत	लाख रुपए में	87.00
ज	7वें संशोधन में निर्धारित कार्यक्षमताओं के लागू करने पर प्रति पोर्ट अतिरिक्त लागत ((छx3)/घ)	रुपए में	0.27
झ	कुल प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत (च + ज)		6.395
ट	1 प्रतिशत की दर से लाइसेंस शुल्क		0.064
ठ	प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभाव (झ + ट)	रुपए में	6.46

नए पीपीटीसी हेतु प्रभावी तिथि

48. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, एक हितधारक ने यह कहा है कि नए टैरिफ को भूतलक्षी प्रभाव यानि कि दिनांक 31 जनवरी, 2018 से लागू किया जाय। इस संबंध में, दोनों एमएनपीएसपी ने यह कहा है कि नए टैरिफ को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जाय तथा पीपीटीसी में 7वें संशोधन के बाद हुए परिवर्तनों को उसी तिथी से लागू किया जाना चाहिए जिस तिथी से एमएनपीएसपी के दायित्व 7वें संशोधन के अनुसार लागू किये जायेंगे। अतः प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि पीपीटीसी में वर्तमान संशोधन दिनांक 11 नवंबर, 2019 से लागू होंगे।